प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8067/2018

घासीराम साहू पिता स्वर्गीय श्री दरसराम साहू, उम्र लगभग 61 वर्ष, अर्ध कुशल श्रम, लोक निर्माण विभाग, उपखंड चंपा, प्रभाग बिलासपुर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।

3. कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4. उप–मंडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, उप–मंडल चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

5. संयुक्त निदेशक, कोषालय, खाता एवं पेंशन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु : श्री अश्विनी शुक्ला, अधिवक्ता।

राज्य हेतु : श्री एस. पी. काले, महाधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी

बोर्ड पर आदेश

07/12/2018

1. वर्तमान रिट याचिका में अनुलग्नक पी–1 दिनांक 03.11.2017 और अनुलग्नक पी–2 दिनांक 21.05.2018 के आदेश को चुनौती दी गई है। अनुलग्नक पी–1 उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित एक आदेश है, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2018 बताई गई है। अनुलग्नक पी–2

एक आदेश है, जिसे उत्तरवादियों द्वारा इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1130/2018 में दिनांक 05.02.2018 को पारित आदेश के अनुसरण में पारित किया गया है।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि जब याचिकाकर्ता को अपनी जन्म तिथि की श्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के विषय में पता चला, तो उसने संबंधित प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन दिया, जिसने भी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वर्ष 1992 में उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक सुधार किया और उसकी जन्म तिथि को दिनांक 05.01.1956 के स्थान पर 30.06.1957 के रूप में सही किया गया, फिर भी उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता को उसकी जन्म तिथि को दिनांक 05.01.1956 मानते हुए सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1130/2018 का निपटारा करते हुए उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था जो दस्तावेजों और अभिलेखों की उचित जांच के बिना फिर से किया गया है। इसलिए, दोनों आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता ने अपने करियर के अंतिम चरण में अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछली रिट याचिका 24 जनवरी, 2018 को दायर की गई थी, जब वह दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उत्तरवादियों ने उनकी जन्मतिथि में सुधार किया है, भी स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि कथित सुधार केवल आंकड़ों में दर्शाई गई जन्मतिथि में ही प्रतीत होता है, जबकि शब्दों में दर्शाई गई जन्मतिथि में सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर किया गया सुधार नहीं लगता है।

4. एक और पहलू जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वह यह है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, विभाग ने 1992 में उसकी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में सुधार किया था, लेकिन अभिलेख खासकर अनुलग्नक पी–5 के अवलोकन से पता चलता है कि विभाग ने वर्ष 1998 में उसके अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता से उसकी जन्मतिथि स्थापित करने के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए कहा था, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा कोई उचित उत्तर/प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी जन्मतिथि में सुधार करने के लिए कोई और पत्राचार या प्रयास नहीं किया गया।

5. जहां तक जन्म तिथि में सुधार से संबंधित विधि का प्रश्न है, भारत संघ बनाम हरनाम सिंह के प्रकरण में (1993) 2 एससीसी 162 में प्रतिवेदित के पैरा 7 और 15 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

> “7. ....कोई शासकीय कर्मचारी जिसने रोजगार के आरंभिक चरण में अपनी आयु घोषित कर दी है, उसे बाद में अपनी आयु सुधारने के लिए अनुरोध करने से कोई रोक नहीं है। यदि

किसी सिविल सेवक के पास अपनी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण है जो पहले दर्ज की गई जन्मतिथि से भिन्न है, तो वह अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा कर सकता है और यदि जन्मतिथि में सुधार के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, तो भी शासकीय कर्मचारी को बिना किसी अनुचित देरी के ऐसा करना चाहिए। जन्मतिथि में सुधार के लिए नियमों में कोई प्रावधान न होने पर, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा सामान्यतः कुंडी या पूर्व के दावों के आधार पर अनुतोष देने से इनकार करने का सामान्य सिद्धांत लागू होता है। फिर भी सरकार के लिए सेवा नियमों में समय सीमा तय करना सक्षम है, जिसके बाद किसी शासकीय कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई शासकीय कर्मचारी जो निर्धारित समय के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करता है, इसलिए वह जन्मतिथि में सुधार के लिए दावा नहीं कर सकता। यह अधिकार का प्रकरण है, अपनी जन्मतिथि में सुधार करवाना, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे साक्ष्य हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अनुचित है। परिसीमा विधि कठोर रूप से काम कर सकता है, लेकिन इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचते और सीमा अवधि को समाप्त होने देते हैं। जब तक कि उसमें बदलाव न किया जाए, दर्ज की गई उसकी जन्मतिथि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित करेगी, भले ही यह उसकी वास्तविक आयु के आधार पर सेवा में बने रहने के उसके अधिकार को कम करने के बराबर हो।

15. इस प्रकरण में, उत्तरवादी के सेवा में प्रवेश के समय दर्ज जन्म तिथि 20 मई 1934, 1956 से सितंबर 1991 के बीच लगभग साढ़े तीन दशकों तक बिना किसी चुनौती के अस्तित्व में रही। उत्तरवादी को कई अवसरों पर अपनी सेवा पुस्तिका देखने का अवसर मिला। उसने अलग–अलग समय पर अलग–अलग स्थानों पर सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। उसने दर्ज प्रविष्टि पर कभी आपत्ति नहीं की। वही जन्म तिथि एलडीसी और यूडीसी की वरिष्ठता सूचियों में भी दिखाई गई थी, जिसे उत्तरवादी ने देखा था, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उसे इसे देखने का कोई अवसर नहीं मिला। वह चुप रहा और अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से कुछ महीने पहले सितंबर 1991 तक जन्म तिथि में परिवर्तन की मांग नहीं की। उत्तरवादी की ओर से आवश्यक सुधार की मांग करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी या लापरवाही किसी भी प्रकरण में उसे अनुतोष देने से इनकार करने को उचित ठहराती है।"

6. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार एवं अन्य (1995) 4 एससीसी 172 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा–10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. हमारे विचार से, सरकार या उसके संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा के अंतिम समय में और जब वे अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं, उच्च न्यायालयों द्वारा रिट आवेदनों पर विचार करना अनुचित है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी कर्मचारी जन्म तिथि में सुधार के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और सरकार या उसके संस्थानों के कुछ कर्मचारियों की जन्म तिथि में सुधार के लिए ऐसे रिट आवेदनों पर विचार करने से उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित होंगी और अन्य कर्मचारियों को अपने सेवा करियर के अंतिम समय में इसी तरह के आवेदन करने के लिए अनुचित प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी सेवानिवृत्ति को रोकना है। हमारे विचार से, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को दिए गए अधिकार क्षेत्र की असाधारण प्रकृति का उद्देश्य सरकार या उसके संस्थानों के कर्मचारियों को उनके द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार उनकी पात्रता की अवधि से परे सेवा में बने रहने के लिए बाध्य करना नहीं है। अपने नियोक्ताओं को तथाकथित नई मिली सामग्री पर भरोसा करते हुए। तथ्य यह है कि सरकार या उसके किसी अंग का कोई कर्मचारी जो दशकों से सेवा में है, और नियोक्ता द्वारा सही मानी गई उसकी जन्मतिथि के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, जब वह अचानक अपने सेवाकाल के अंतिम समय में उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सेवा अभिलेख में जन्मतिथि में सुधार की मांग करते हुए रिट आवेदन लेकर आता है, तो हमारे विचार में, कर्मचारी द्वारा प्रकरण में कोई आपत्ति न उठाने का आचरण ही उच्च न्यायालय के लिए स्वीकृति, अनुचित देरी और लापरवाही के आधार पर ऐसे आवेदनों पर विचार न करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को कभी भी उचित और न्यायिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया कहा जा सकता है, यदि वह इस तरह के रिट आवेदन पर विचार करता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी, जिसके पास अपने 'सेवा और अवकाश अभिलेख' में जन्म तिथि के बारे में शिकायत थी, वह वास्तव में उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का लाभ उठाकर इसे ठीक करने के लिए अपने सेवा जीवन के अंत तक इंतजार नहीं कर सकता था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ बनाम मेघ राज गर्ग एवं अन्य (2010) 6 एससीसी 482 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा–20 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

""20. उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि उत्तरवादी 1 द्वारा अपनी सेवा में शामिल होने के बारह वर्ष बाद अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि को सही करने के लिए दायर किया गया वाद स्पष्ट रूप से अनुचित था और विचरण न्यायालय ने उत्तरवादी 1 के पक्ष में एक डिक्री पारित करके एक गंभीर त्रुटि की और प्रथम अपीलीय

न्यायालय और उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त करने से इनकार करके उसी त्रुटि को दोहराया।"

8. महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले और अन्य के प्रकरण में, (2010) 14 एस. सी. सी. 423, पैराग्राफ–12 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"12. अधिसूचना और उक्त निर्देश के अलावा इस न्यायालय ने कई प्रकरणों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के अंतिम चरण में जन्मतिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकरण में परिवर्तन का आवेदन अट्ठाईस वर्ष बीत जाने के बाद उनके सेवाकाल के अंतिम चरण में दायर किया गया है।"

9. सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (2011) 9 एससीसी 664 के प्रकरण में पैरा 7 एवं 8 में निम्न प्रकार से निर्णय दियाः

"7. उपर्युक्त तथ्यात्मक परिदृश्य और इस विवाद्यक पर विधि के सिद्धांतों के प्रकाश में इस विवाद्यक पर विचार करने के बाद, हम आश्वस्त हैं कि उत्तरवादी की जन्मतिथि में परिवर्तन का निर्देश देने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि किसी शासकीय कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार से संबंधित प्रकरणों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके सेवाकाल के अंतिम चरण में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी शासकीय सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय सतर्क, सावधान और सचेत रहना चाहिए। जब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए और ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो, जैसा भी प्रकरण हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ हो, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा पुस्तिका में सुधार के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए। इस न्यायालय ने कई बार यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपनी सेवा में आने के काफी समय बीत जाने के बाद, विशेष रूप से अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय से परे, दर्ज की गई जन्मतिथि में सुधार के लिए अनुरोध करता है, तो वह अधिकार के रूप में अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे साक्ष्य हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते (देखें: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरनाम सिंह)।"

10. उपरोक्त विधिक स्थिति और पिछले पैरा में वर्णित तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय इस मत पर पहुंची है कि चुनौती के तहत दो आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत प्रकरण नहीं बनता है। इस प्रकार, रिट याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/–

(पी. सैम कोशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur